बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/05–भू0अ0नि0(निदेश/मार्गदर्शन)–08/2024.....927

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

सेवा में,

सभी बंदोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :–12/03/2026

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत संविदा नियोजित सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के संविदा अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु योजना आधारित संविदा पदों पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण लिपिक/विशेष सर्वेक्षण अमीन का नियोजन करते हुए बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है, जिनके पद का विस्तार योजना अवधि विस्तार के आलोक में किया जाता है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा योजना का अवधि विस्तार दिनांक 31.12.2025 तक किया गया था, जिसके आलोक में सर्वेक्षण कर्मियों के संविदा का विस्तार भी दिनांक 31.12.2025 तक करने का निदेश पूर्व में सभी बंदोबस्त कार्यालयों को दिया गया है।

पुनः राज्य सरकार द्वारा योजना का अवधि विस्तार 01 वर्ष 03 माह (दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक) के लिए किया गया है। इस परिपेक्ष्य में उपरोक्त पदों पर नियोजित संविदा कर्मियों के संविदा अवधि विस्तार की स्वीकृति निम्नांकित शर्त्त के साथ दी जाती है :–

1. संबंधित पदाधिकारी इन संविदा कर्मियों से पुनः एकरारनामा किए जाने के पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि जिन संविदा कर्मियों का संविदा विस्तार किया जा रहा है, उनका कार्य संतोषजनक हो।

2. वैसे संविदा कर्मी जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत अनुपस्थित है एवं जिनके विरूद्ध गंभीर आरोप के दृष्टिगत संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है, वैसे संविदा कर्मी का अवधि विस्तार लंबित रखा जाय।

3. जिन संविदा कर्मियों के विरूद्ध संविदा समाप्ति का प्रस्ताव/अनुशंसा लंबित रहने के कारण अवधि विस्तार नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में आरोप लंबित रहने के कारण सहित स्पष्ट अनुशंसा प्रतिवेदन अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि ऐसे संविदा कर्मियों के संबंध में त्वरित निर्णय लिया जा सके।

4. संविदा कर्मियों के साथ एकरारनामा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधार संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 में वर्णित प्रावधान के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अतः उपरोक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

Sd/- 11/03/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 05–भू0अ0नि0(निदेश / मार्गदर्शन)–08 / 2024 927 **पटना, दिनांक** :– 12/03/2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Sd/- 11/03/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 05–भू0अ0नि0(निदेश / मार्गदर्शन)–08 / 2024 927 **पटना, दिनांक** :– 12/03/2026

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी / उप सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग / सभी संबंधित स्थापना प्रभारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 11/03/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 05–भू0अ0नि0(निदेश / मार्गदर्शन)–08 / 2024 927 **पटना, दिनांक** :– 12/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव / आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 11/03/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 05–भू0अ0नि0(निदेश / मार्गदर्शन)–08 / 2024 927 **पटना, दिनांक** :– 12/03/2026

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 11/03/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप